

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 Registration of Corporate Agents - Regulations, 2015 फार्म बी

फार्म बी FORM B

[विनियम 4 और 9 देखें] [See regulations 4 & 9] पंजीकरण प्रमाणपत्र Certificate of Registration

पंजीकरण संख्याः CA0877 Registration No: CA0877

1.बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा FINCART FINVEST PRIVATE LIMITED को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन Corporate Agent (Composite) कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए (श्रेणी का विवरण लिखें) पंजीकरण प्रदान करता है | In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to FINCART FINVEST PRIVATE LIMITED to act as Corporate Agent (Composite) (Mention details of category) corporate agent under that Act.

- 2. उक्त कारपोरेट एजेंट के लिए पंजीकरण कूट CA0877 है। Registration Code for the corporate agent is CA0877
- 3. यह पंजीकरण **07-Nov-2023** से **06-Nov-2026** तक वैध होगा। This registration shall be valid from **07-Nov-2023** to **06-Nov-2026**
- 4. यह पंजीकरण अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण धिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में अथवा उनके अनुरूप है।

This registration is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

स्थानः

Place : **Hyderabad**

Date: 07-Nov-2023

दिनांकः

आदेशानुसार By Order

Signature valid
Digitally signed by 05
INSURANCE REPULATORY AND
DEVELOPMENT JUTHORITY OF
INDIA 3

भारतीय *बीम*ां²¹विंनिंभें मिंकें:⁴और ³विकास प्राधिकरण

के लिए और उनकी ओर से For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority of India